

प्रपत्र-3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक/व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1. परियोजना का नाम : भारतमाला परियोजना
 2. आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHAI PIU धमतरी
इकाई F5 शिवराज ग्रीन सिहावा रोड धमतरी छत्तीसगढ़
 3. गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग : रायपुर विशाखापटनम रोड
 4. आवेदित क्षेत्र की स्थिति : जिला वनमंडल परियोजना स्थल
कोण्डागांव केशकाल सलना, माणीकपुर, गोविंदपुर, खल्लारी
 5. वनभूमि का विस्तृत विवरण : वनखंड कक्ष क्र. आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल
- क. आरक्षित वन :

कोसमी	RF-1152	3.7665
कोसमी	RF-1151	8.8425
कोसमी	RF-1154	1.6482
कोसमी	RF-1169	13.781

ख. सीमांकित संरक्षित वन :

पलना	P-1335	8.9129
------	--------	--------

ग. असीमांकित संरक्षित वन : ग्राम का नाम ख.क्र. आवेदित क्षे.का क्षेत्रफल

उत्तर सरगीपाल	OA-1512	2.5172
दक्षिण सलना	OA-1522	1.8179

घ. राजस्व वन क्षेत्र : निरंक

कुल योग 41.2862

6. आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : मिश्रित
- साल क्वालिटी – III/IVA
- घनत्व – > 0.4 से 0.6
7. आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : प्रजाति कुल वृक्षों की संख्या
- | | |
|-------|------|
| साल | 3359 |
| साजा | 1080 |
| बीजा | 247 |
| शीशम | 03 |
| हल्दु | 60 |
| धावडा | 202 |
| सागौन | 07 |
| अन्य | 4586 |
8. आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति : सामान्य
9. आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य : निरंक
- मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)
10. क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र : नहीं, किन्तु 97.8924 हे. क्षेत्र ESZ के अंतर्गत आते है।
- (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक)
- की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं ?
- यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।
11. आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प : नहीं
- के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है
- अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में)

आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में

गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष / भारत

सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की

संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)

12. आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन : नही

किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देंगे।

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल : संबंधित कक्ष क्रमांक

दिनांक : 16/12/2021


(बी.एस. ठाकुर)
वनमंडलाधिकारी
केशकाल वनमंडल
केशकाल